नकल आदेश दिनांक 19-5-14 वाद संख्या 726/14
अन्तर्गत धारा 143 ज०उ० ए० एण्ड एल० आर० एक्ट०
श्री गुरु हरिकृष्ण साहिब एजूकेशनल एण्ड ट्रस्ट बनाम
सरकार उत्तर प्रदेश ग्राम धावनी हसनपुर तहसील
बिलासपुर न्यायालय उप जिलाधिकारी बिलासपुर
जनपद रामपुर (संलग्नक)

C.f
07/7=00

Serial Number....... 466
Name of Applicant श्री हरीश कुमार एडवो
Date of Application 19-5-14
Value of ... 02/7=00
Number ... छायाप्रति
Date of ... 20-5-14
Date of De... 20-5-14
Sig. of official ...
20.5.2014

नकल

न्यायालय उप जिलाधिकारी बिलासपुर जनपद रामपुर ।

वाद संख्या 726/2014 अर्न्तगत धारा 143 जेड0ए0एण्ड एल0आर0एक्ट ग्राम धावनी हसनपुर तहसील बिलासपुर ।

श्रीहरिकृष्ण साहिब एजूकेशनल इण्ड ट्रस्ट बनाम सरकार उत्तर प्रदेश

आदेश

प्रस्तुत वाद में वादीगण डा0 सन्तोख सिंह खालसा (प्रबन्धक) व सिन्दर सिंह चीमा (अध्यक्ष) द्वारा ग्राम धावनी हसनपुर की आराजी गाटा संख्या 177/2 रकबा 0.515 है0 लगान 25–90 रू0 भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया ,जिसपर तहसील से आख्या दिनॉक 23–04–2014 प्रस्तुत की गई ,जिसमें अवगत कराया गया कि वादग्रस्त आराजी श्री हरिकृष्ण साहिब जी एजुकेशनल इण्डस्ट्रीयल एण्ड कल्चरल डेवलपमेन्ट एसोसिएशन (ट्रस्ट) माठखेडा रोड चीमा इण्टर प्राईजेज बिलासपुर द्वारा डा0 संतोख सिंह खालसा पुत्र जागन सिंह निवासी बाजार कलॉ बिलासपुर व सिन्दर सिंह चीमा पुत्र स0 प्रीतम सिंह निवासी माठखेडा रोड बिलासपुर के नाम संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात माल है उक्त भूमि में कृषि कार्य नही हो रहा है अकृषिक प्रयोजन में लाई जा रही है स्थल पर खालसा कन्या महाविघालय का निर्माण हो रहा है वादग्रस्त आराजी पटटे /ग्राम समाज व सार्वजनिक उपयोग की व सरकारी भूमि नही है। अकृषिक प्रयोजन में लाई जा रही है । अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई।

तहसीलदार की उक्त जॉच आख्या का अवलोकन किया गया । वादीगण के नाम वादग्रस्त आराजी संकमणीय भूमिधर की हैसियत से दर्ज है ।वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में कृषि कार्य नही हो रहा है मौके पर खालसा कन्या महाविघालय का निर्माण हो रहा है अकृषिक प्रयोजन में लाई जा रही है वादग्रस्त आराजी अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अडचन प्रतीत नही होती है । अतः ग्राम धावनी हसनपुर के गाटा संख्या 177/2 रकबा 0.515 है0 भूमि जिसमें खालसा कन्या महाविघालय का निर्माण हो रहा है अकृषिक घोषित किया जाता है । यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उ0प्र0 जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधि0 1950 की धारा 143 की व्यवस्था के अर्न्तगत प्रख्यापन मात्र से भू– उपयोग परिवर्तन नही हो जाता । यदि किसी स्तर पर धारा 143 के अर्न्तगत प्रख्यापन को भू–उपयोग परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया जाता है तो यह विधि विरूद्ध होगा और ऐसा भू–उपयोग परिवर्तन स्वतः निष्प्रभावी होगा । आदेश की प्रति सब रजिस्ट्रार बिलासपुर को जेड0ए0 की धारा 145 के प्राविधानो के अर्न्तगत रजिस्टर करने हेतु भेजी जाये । तदोपरान्त परवाना अमलदरामद जारी हो । बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफतर हो।

19/5/14

दिनॉक :– मई 19 ,2014

(विनय कुमार सिंह)
उप जिलाधिकारी बिलासपुर ।

आज यह आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा दिनॉकित व हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया

19/5/14

(विनय कुमार सिंह
उप जिलाधिकारी बिलासपुर ।

सत्य प्रतिलिपि

20.5.2014

अहलमद
उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
बिलासपुर